न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/39/2026 दायर दिनांकः–20.04.2026 रजि0 न0 2026/75

अपीलार्थीः–

श्री दीपक राजपूत पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह,
निवासी 03, टाईगर कॉलोनी, दिल्ली रोड़,
मुंगस्का, अलवर (राज०) 301001

प्रत्यर्थीः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राज0)
2. लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (शहर) जिला अलवर (राज0)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

अलवर (राज0)

दिनांकः– 25.05.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 24.12.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होकर उचित सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.04.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी सं. 1 ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/486 दिनांक 28.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के प्रथम अपील दिनांक 27.02.2026 में वर्णित सूचना आवेदन दिनांकः 24.12.2025 जिसे राज्य सरकार के निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये आवेदन सं. 293195826684038 दिनांक 04.03.2026 ऑनलाइन दर्ज किया गया है, के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में ऑनलाइन पत्र सं. 1089694154 दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया गया कि सूचना आवेदन वर्णाकित शिकायत प्रा०पत्र दिनांक 24.12.2025 व 17.02.2026 इस कार्यालय स्तर पर किसी अनुभाग स्तर पर संधारित नहीं है। तथापि प्रकरण का पुनः परीक्षण कराए जाने पर प्रकरण अति० जिला कलक्टर (शहर) स्तर पर विचाराधीन/प्रक्रियाधीन होना पाया गया।
6. प्रत्यर्थी सं. 2 ने जवाब अपील पत्रांक आरटीआई/2026/927 दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के प्रथम अपील दिनांक 27.02.2026 में वर्णित पूर्व अभ्यावेदन दिनांकः 24.12.2025 एवं 17.02.2026 के परिप्रेक्ष्य में की गई बिन्दुवार सूचना से अवगत कराए जाने वास्ते निर्देशित किया गया है। अपीलार्थी की प्रश्नगत जाँच पत्रावली का निरीक्षण कराया जाकर वांछित बिन्दूवार सूचना प्रत्यर्थी के पत्रांक क्रमांक आरटीआई/2026/928 दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। प्रति संलग्न है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमान् जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

महोदया, अलवर को निर्देशानुसार संदर्भित प्रकरण में नियमानुसार जाँच कर, जाँच रिपोर्ट दिनांक 28.01.2026 के माध्यम से श्रीमान् जिला कलक्टर (सतर्कता) अलवर को भिजवाई जा चुकी है। अन्य अपेक्षित सूचना/कार्यवाही संबंधी जानकारी उनके स्तर पर संपर्क स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना/कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

7. तथापि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में प्रस्तुत प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/486 दिनांक 28.04.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है तथा प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा भी अपीलार्थी को पत्रांक क्रमांक आरटीआई/2026/928 दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। तथा साथ ही प्रत्यर्थी को भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदनों का निस्तारण निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

8. आज दिनांक 25.05.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ० आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर